048471

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन
उप रजिस्ट्रार
रुड़की
दिनांक 22/7/08

अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2006 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0-1 वर्ष 2007) के अर्न्तगत अनुमति प्राप्त करनी है। उक्त अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रथम पक्ष पूर्ण सहयोग देगा तथा शासन द्वारा अनुमति प्राप्त होने मे हस्तक्षेप नही करेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने की समय-सीमा प्रारम्भ होगी, तथा प्रथम पक्ष यह भी स्वीकार करता है कि शर्त नं0 1(ग) का अनुपालन अनुमति प्राप्त के उपरांत ही होगा।

10- यह कि वर्तमान अनुबन्ध पत्र के अनुसार विक्रय पत्र के निष्पादन तथा पंजीकरण के लिए प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की मांग तथा निर्धारित समय पर कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में उपस्थित रहेंगे।

अतुल कुमार कंवर वर्ती

208

[illegible]

दि० 19/3/08 का रु० 25000/-

नाम को [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] 18/3/08

कोषागार [illegible]

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048472

स्टाम्प समायोजित

-19-

11- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र की शर्तो की चूक किये जाने पर द्वितीय पक्ष वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र का विशिष्ट अनुपालन कर लेगा व करा लेगा तथा उसका अधिकारी होगा, इस निष्पादन में जो भी व्यय होगा वह द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा तथा अतिरिक्त हर्जा भी, यदि कुछ हुआ तो वह भी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। प्रथम पक्ष को वर्तमान अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। द्वितीय पक्ष वर्तमान संविदे को निरस्त करके अपनी अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम पक्ष के शर्तो की चूक के कारण द्वितीय पक्ष के मध्य वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र के अनुसार विक्रय पत्र अंकित व निष्पादित नही हो पाया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त है कि द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार से तथा मध्यस्थ महोदय के माध्यम से अपना सम्पूर्ण व्यादेश प्रतिकार प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकारी है।

12- यह कि यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रीमती कंवरवती पुष्टिकर्ता को इस कारण पक्ष बनाया गया है कि भविष्य में कोई तकनीकी परेशानी न हो।

अतुल कुमार   मनवरवती

208

क्र॰ 17/3/08 का रु॰ 25000/- स्टा०
द्वारा श्री [illegible]
निवासी ....

15/3/08
[illegible] विक्रेता
कोषागार रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

048473

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

सब रजिस्ट्रार

रुड़की

दिनांक

-20-

यह कि प्रथम पक्ष यह वचन देता है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन में बढ़ोत्तरी नही करेगा और इसी मूल्यांकन पर द्वितीय

13- यह कि प्रथम पक्ष यह वचन देता है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन में बढ़ोत्तरी नही करेगा और इसी मूल्यांकन पर द्वितीय पक्ष व उसके मनोनीत व्यक्ति के पक्ष में विक्रय विलेख करेगा। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रथम पक्ष अग्रिम धनराशि के रूप में विक्रय प्रतिफल का पच्चीस प्रतिशत प्राप्त कर रहे है।

यह कि प्रथम पक्ष संयुक्त रूप से व अलग-अलग यह वचन देता / देते है कि वह द्वितीय पक्ष को होने वाली तथा

14- यह कि प्रथम पक्ष संयुक्त रूप से व अलग-अलग यह वचन देता / देते है कि वह द्वितीय पक्ष को होने वाली तथा सम्भावित हानि की पूर्ति करेंगे तथा सदैवकालीन पूर्ति करता / करते रहेगा / रहेंगे। यह भी स्पष्ट करते है कि संविदे के साथ-साथ यह चरण भी प्रथम पक्ष पर तथा प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों तथा वारिसानों पर लागू रहेगी। यह भी स्पष्ट करते है कि यदि प्रथम पक्ष के दोष के कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि, हर्जाना, व्यय तथा अन्य व्यय क्षति में हुआ तो उन्हें क्षतिपूर्ति करनी पड़ी तो वह भी प्रथम पक्ष पूरी करेंगे। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी

208

दि० 19/3/08 ... 25000/-

द्वारा श्री ... आमिर ...

निवासी ...

कोषागार, रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

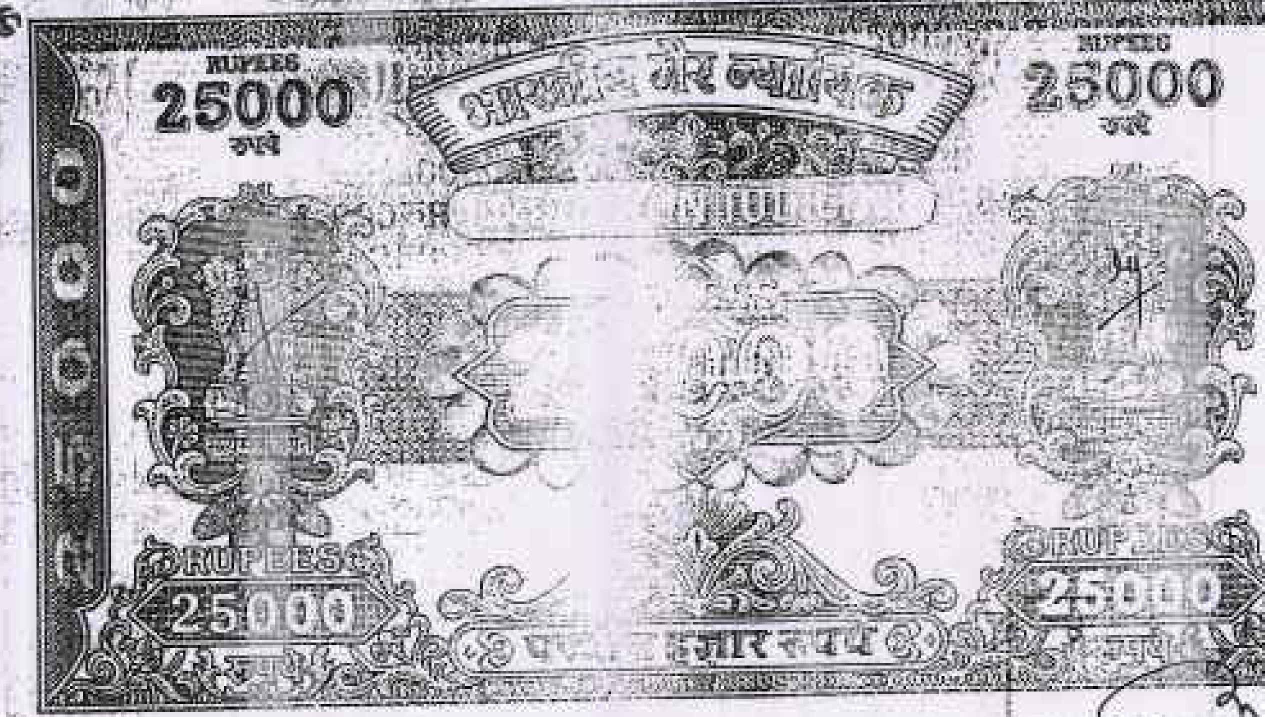

048474

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

सब रजिस्ट्रार
रूड़की
दिनांक 22/7/08

प्रकार की तथा प्रत्येक प्रकार की हानि, जो प्रथम पक्ष के कारण द्वितीय पक्ष को होगी, उसकी भी पूर्ति प्रथम पक्ष करेंगे। स्वामित्व को सदैवकाल के लिए सुरक्षित रखेंगे।

15- यह कि वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र के रूपान्तर, अर्थान्तर या वर्तमान प्रपत्र में प्रदर्शित शर्तो से कोई विवाद या अन्तर उत्पन्न होने पर, वह विवाद व अन्तर तथा प्रत्येक प्रकार के विवाद, एकल मध्यस्थ द्वारा निस्तारित कराये जायेगें और किसी अन्य माध्यम से निस्तारित नहीं कराये जायेंगे। पक्षकार परस्पर सहमति से द्वितीय पक्ष के कम्पनी सचिव को एकल मध्यस्थ नियुक्त करते है। एकल मध्यस्थ को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'पंच निर्णय' स्वयं करे या इस हेतु किसी अन्य एकल मध्यस्थ को मनोनीत कर दे। एकल मध्यस्थ भारतीय माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अर्न्तगत कार्यवाही

अनुज कुमार   कंवर वती

द्वारा श्री ...आशीष कुमार... पुत्र श्री ...
निवासी........................ का पेशा

कोषागार, रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड ●

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

048475

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

सब रजिस्ट्रार

रुड़की

करेगा तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करके ही कोई निर्णय पारित करेगा। मध्यस्थता का कार्य स्थल व निर्णायक स्थल रुड़की नगर पालिका क्षेत्र होगा।

16- यह कि इस विक्रय अनुबन्ध की सूची में वर्णित सम्पत्ति अंकन रू0 1,08,52,855-00(एक करोड़ आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन मात्र) में विक्रीत की जा रही है। यह विक्रय अनुबन्ध-पत्र अध्यासन रहित है। विक्रय अनुबन्ध पंजीकृत कराने हेतु 6.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है। इस प्रकार अंकन रू0 54,26,427-50(चव्वन लाख छब्बीस हजार चार सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र)/- पर 6.25

अतुल कुमार चन्द्रवती

208

दि० 19/3/08 क्र० सं० 2587/ [illegible]

नाम श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ...

निवासी .... का [illegible]

19/3/08

स्टाम्प विक्रेता

कोषागार रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड ●

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-23-

प्रतिशत की दर से अंकन रू0 6,78,500-00(छः लाख अठहत्तर हजार पांच सौ मात्र) रुपये का स्टाम्प शुल्क देय है कि जो समर्पित किया जा रहा है।

17- यह कि वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र में में जहां-जहां शब्द "प्रथम पक्ष" व "पुष्टिकर्ता" आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायाद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा तथा जहां-जहां शब्द "द्वितीय पक्ष" आया है, उससे उसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी व स्थानापन्न से लगाया जावेगा।

अतुल कुमार कादर वती

दि० 19/3/08 ... 25000/-

श्रीमान् ...

सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048477

-24-

दिनांक 22/01/02

<u>सूची सम्पत्ति-क</u>

भूमि खाता संख्या-11 खसरा संख्या-400 जिसका क्षेत्रफल 0.2880 हैक्टेयर स्थित ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

<u>सूची सम्पत्ति-ख</u>

भूमि खाता संख्या-11 खसरा संख्या-401 जिसका क्षेत्रफल 0.3050 हैक्टेयर स्थित ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

अनुज कुमार कदरवती

208

दि० 19/3/18 ... 25009/

19/3/18

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

उत्तरांचल UTTARANCHAL 048478

स्टाम्प समायोजन
उप रजिस्ट्रार
रुड़की
दिनांक ....

-25-

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को रुड़की में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने साक्षीगणों के समक्ष हस्ताक्षर करके अंकित है ताकि समय पर उपयोगी हो।

<u>रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतुः-</u>

अरुण कुमार कवर वती

208

दि० 19/3/08 को रु० 25000/-

द्वारा श्री आनन्द कुमार

निवासी

19/3/08

कोषागार, रुड़की

तहसीलदार रुड़की-I जिला हरिद्वार

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048479

-26-

स्टाम्प समायोजन

दिनांक

प्रथम पक्ष का नाम :- (1) श्री अनुज कुमार तथा

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

208

क्र० 19/3/A8 का रु० 25000/- का टिकट

नाम की .... पुत्र/पुत्री की ....

श्रीमती ...

निवासी .... का बेचा

15/3/48

स्टाम्प विक्रेता

कोषागार, सदर

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

048480

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

सब रजिस्ट्रार

रुड़की

दिनांक

-27-

दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

208

दि० 19/3/08 ... रु० 250001/- ...

द्वारा श्री आनन्द ...

विवादी ...

19/3/08

... रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ... उत्तराखण्ड

भारतीय ... न्यायिक

INDIA

INDIA ... JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

335338

स्टाम्प समायोजन

दिनांक 27/12/07

-28-

(2) मा0 अतुल कुमार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

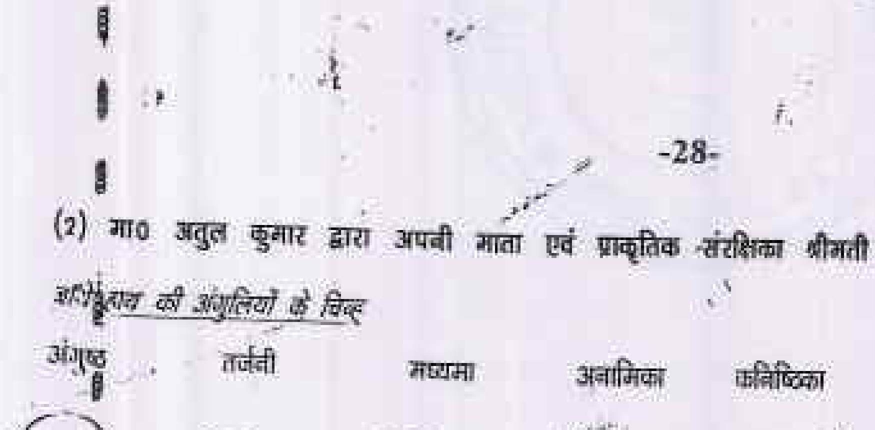

कंवरवती

अतुल कुमार

208

19/3/08 500/-

15/3/08

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु.

पाँच

INDIA NON JUDICIAL

335339

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-29-

दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

स्टाम्प समायोजित

कावरवर्ती

अतुल कुमार

208

19/3/08 5001

2111ला ला

19/3/08

सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

333340

-30-

द्वितीय पक्ष का नाम :- मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधाकृष्णण

बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

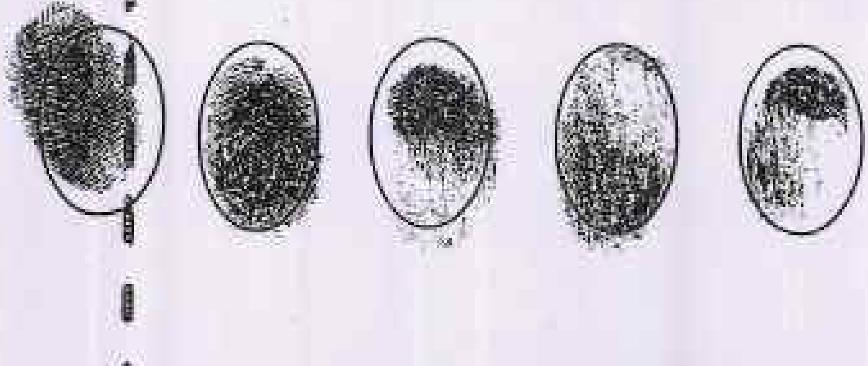

२०८

१९/३/१८ ५००/-

[illegible]

१९/३/१८

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार * उत्तराखण्ड *

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

पाँच

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

335341

-31-

दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दिनांक

अतुल कुमार

208

दि. 19/3/08 500/-

19/3/08

उप निबन्धक रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

335342

अतुल कुमार

कादर वती

-32-

22/02/08

साक्षीगण :-

(1) .... (2)

S.K. Bhatch

108 ...

Satendra Kumar Gaur

Advocate

Regn. No. 1834/81

Civil Court, Dehradun

208

दि. 19/3/18 5000/-

19/3/18

मजिस्ट्रेट -I जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
पांच सौ रुपये
FIVE HUNDRED
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

335343

अतुल कुमार

कमर वती

स्टाम्प समायोजन

उप निबन्धक
रूड़की
दिनांक

-33-

साक्षीगण :-

(3) लोकेन्द्र सिंह
S/o कलीराम
ढढियाकी

(4) Rajendra Chaudhary
S/o Late Ch. Dayaram Singh
R/o 423/35 Civil Lines
Roorkee

২০৮

১৯/৩/০৮ ৫০০/-

অফিস কপি

১৯/৩/০৪

জিলা

भारत INDIA

पाँच सौ रुपये

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

335344

पक्षकारों के निर्देश पर तथा उने द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना मेरे कार्यालय में की गयी तथा इसका कम्प्युटरीकरण मेरे कार्यालय में हुआ। पक्षकारों ने एक दूसरे की पहचान की तथा पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण स्वयं पुष्ट किये।

अनुज कुमार

दिनांकः- 25-03-2008

ड्राफ्टिंगबाई:- सतेन्द्र कुमार गर्ग एडवोकेट रुड़की।

टाईपिस्टः- मौ0 शहजाद।

स्टाम्प समायोजन

सब रजिस्ट्रार

रुड़की

दिनांक.........

Photo & Certificate

25-March-2008

FIRST PARTY

SECOND PARTY

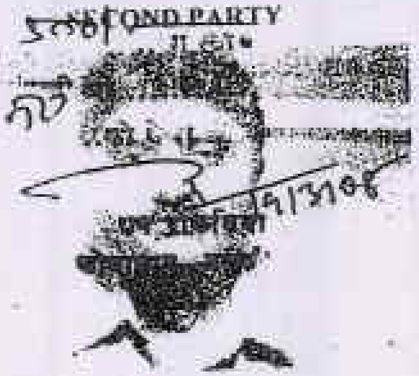

Witness

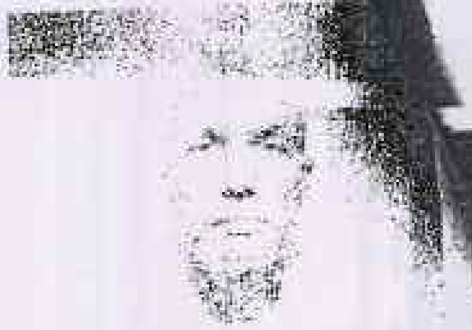

Witness 1

Witness 2

बही नम्बर 1 जिल्द 275 पृष्ठ 283 से 350

में नम्बर 1,434 पर आज दिनांक 25-March-2008 में रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक

SRO2 Roorkee